वृक्षारोपण केवल फोटो के लिये नहीं करें : निंबाराम

'आज रोपा हुआ वृक्ष जीवित रहे यह संकल्प होना चाहिए'

- अमृता देवी प्रकृति संवर्धन अभियान के तहत सघन वृक्षारोपण
- सैकड़ों मातृशक्ति ने किया प्रतापनगर मे एक दिन में 1000 वृक्षों का रोपण

जयपुर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्र प्रचारक निंबाराम ने कहा कि हम वृक्षारोपण केवल फोटो के लिए नहीं करे। आज रोपा हुआ वृक्ष जीवित रहे इतनी चिंता और संकल्प हमारा होना चाहिए। मातृशक्ति अपने घरों के आगे अपने नाम से न्यूनतम एक वृक्ष लगाकर उसको पालने और हर साल उसका जन्मदिन मनाने का आज संकल्प ले। निंबाराम बुधवार को अमृता देवी प्रकृति संवर्धन अभियान के अंतर्गत प्रताप नगर सेक्टर 7 स्थित प्रज्ञासागर उद्यान में मातृशक्ति द्वारा आयोजित सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। निम्बाराम ने कहा कि देश हमें सब कुछ देता है हम भी देश को देना सीखे। हम केवल लेते रहे और देने की दिशा में कोई प्रयास नहीं हो तो यह कितने दिन चलेगा? एक दिन प्रलय को आना ही है। वायनाड इसका प्रत्यक्ष ताजा उदाहरण है।

उन्होंने कहा कि पर्यावरण को लेकर पूरे देश दुनिया में बड़ी चिंता है। पिछले 20 सालों में वनो को काटकर उन्हें कम किया गया जो निश्चित ही परेशान करने वाला विषय है। वृक्षारोपण कर इस परिदृश्य को बदलना होगा जिसमे हम सब की सक्रिय भूमिका चाहिए, विशेषकर उपस्थित मातृशक्ति की अहम है। वैसे भी आज अमृता देवी पर्यावरण का प्रतीक है। पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन की दिशा मे काम करनेवाले लोगो के लिए आज अमृता देवी प्रेरणास्त्रोत है। ऐसे ही उपस्थित मातृशक्ति अपने अपने क्षेत्र में सघन वृक्षारोपण कर इस कार्य को आगे बढ़ने का कार्य बेहतर तरीके से कर सकती है और देश मे कई स्थानो पर ऐसा कर भी रही है। यहा भी मातृशक्ति को ऐसा करने की निश्चित ही आवश्यकता है। इस अवसर पर उन्होने वृक्षों व पर्यावरण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए वृक्षो की रक्षा हेतु अमृता देवी सहित 363 मातृशक्तियो के बलिदान को याद किया। साथ ही तुलसी-पीपल इत्यादि पौधों का वैज्ञानिक महत्व पर भी प्रकाश डाला।

इस अवसर पर मुख्य अतिथि सामाजिक कार्यकर्ता सुमन शेखावत रही। उन्होने भी पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन की दिशा में मातृशक्ति की अहम भूमिका पर अपनी सक्रिय जिम्मेदारी निभाने की बात कही।

मंचीय कार्यक्रम के बाद क्षेत्रीय प्रचारक निंबाराम द्वारा वृक्षारोपण कर वृक्षारोपण कार्य की शुरूआत की। इसके बाद उपस्थित सैकडों महिलाओं ने एक ही दिन मे 1000 वृक्षो का रोपण कर उनके पालन-पोषण का संकल्प लिया।

कार्यक्रम के विशिष्ठ अतिथि विवेकानंद आश्रम के स्वामी एस.पी. आचार्य ने अंग्रेजी शब्द की व्याख्या करते हुए उसके पीछे छुपे संदेश को सबके सामने रखा। उन्होने कहा कि मानव को शब्द, क्रिया, विचार, चरित्र और स्वास्थ्य पर सतत वॉच रखना चाहिए। ऐसा करेगे तो हम सच्चे मानव बन सकेगे। उन्होंने यह भी कहा कि जो आप चाहते हैं उसे देना शुरू करिए। आप दुख चाहते हैं तो लोगो को दुख देना शुरू करिए और आप सुख चाहते हैं तो सुख देना शुरू करिए। जैसा आप देंगे वैसा ही आपको ईश्वर देगा।

2 साल के बच्चे की कस्टडी विधवा मां को देने के आदेश

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने 2 साल के बच्चे की कस्टडी के संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए उसकी कस्टडी दादा-दादी से लेकर विधवा मां को सौंपने के आदेश दिए हैं। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश मां की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने माना कि नाबालिग संतान की मां उसकी सबसे पहले स्वाभाविक अभिभावक होती है। याचिकाकर्ता शिक्षित और आर्थिक रूप से सुदृढ़ है, जबकि दादा सिर्फ आठवीं पास है। वही उसके पास आय का नियमित स्त्रोत भी नहीं है। ऐसे में याचिकाकर्ता बच्चे का अच्छी तरह ख्याल रख सकती है। याचिका में कहा गया कि उसके पति की बीते दिनों कार दुर्घटना में मौत हो गई। इसके बाद याचिकाकर्ता को स्कूल व्याख्याता पद पर नियुक्ति मिली। ऐसे में वह अपने दो साल के बेटे को दादा-दादी के पास छोड़कर कार्य ग्रहण करने चली गई। वहीं बाद में उसे बच्चे की कस्टडी नहीं सौंपी गई।

महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए अंतिम वरीयता सूची जारी

जयपुर। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर की पहल पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में भर्तियों के काम को मिशन मोड में अंजाम दिया जा रहा है। इसी कड़ी में चिकित्सा मंत्री की मंजूरी के बाद बुधवार को महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 3671 पदों पर अंतिम वरीयता सूची जारी की गई। इन महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का जल्द पदस्थापन होने से गांव-ढाणी तक स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूती मिलेगी।

अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने बताया कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (शीफू) के माध्यम से 20 हजार से अधिक विभिन्न पदों पर भर्ती की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। इसी क्रम में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के 4847 पदों में से 3671 पदों के लिए अंतिम वरीयता सूची को चिकित्सा मंत्री ने मंजूरी दी है। उन्होंने बताया कि इस भर्ती को पूरा करने के लिए शीफू द्वारा अंतरिम वरीयता सूची पर प्राप्त परिवेदनाओं का निस्तारण किया गया एवं अन्य राज्यों से व्यावसायिक योग्यता अर्जित करने वाले चयनित अभ्यर्थियों की अंकतालिकाओं का विभिन्न राज्यों में टीमें भेजकर सत्यापन करवाया गया। इसी प्रकार अभ्यर्थियों के अनुभव प्रमाण पत्रों का पुनर्सत्यापन, आर.एन.सी. पंजीयन का प्रमाणन आदि प्रक्रियाओं को अपनाते हुए 3671 पदों हेतु यह अंतिम वरीयता सूची जारी की गई।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने बुधवार को महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 3671 पदों पर अंतिम वरीयता सूची के लिये मंजूरी दी।

राज्यपाल ने सहकारी चुनाव सहित कई मुद्दों पर चर्चा की

ऑल इंडिया कोआपरेटिव बैंक एम्पलाईज फेडरेशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, ऑल राजस्थान कोआपरेटिव बैंक एम्पलाईज यूनियन के प्रांतीय महासचिव , सहकारी साख समितिया एम्प्लाईज यूनियन के प्रांतीय अध्यक्ष प्रदेश के सहकार नेता सूरज भान सिंह आमेरा ने आज राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े से शिष्ट मंडल के साथ राजभवन में मुलाक़ात की।

विशेष लेखा परीक्षक निलंबित

जयपुर। सहकारी विभाग ने शिवकुमार पेडीवाल (सहायक रजिस्ट्रार), विशेष लेखा परीक्षक, सहकारी समितियॉ, हनुमागढ़ को निलंबित किया गया है। उनके विरूद्ध राज्य सरकार की ओर से विभागीय जांच प्रक्रियाधीन है।

शुभकामनाएं दीं

जयपुर। राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिभाऊ बागडे, विधानसभाध्यक्ष वासुदेव देवनानी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शिक्षक दिवस (5 सितम्बर) पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति और महान शिक्षक एवं विचारक डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन का स्मरण किया।

केन्द्र सरकार की विशेष वित्तीय सहायता योजना में प्रदेश को मिले अधिकतम लाभ : भजनलाल शर्मा

- 'समय-सीमा का ध्यान रखते हुए योजना में निधि का उपयोग सुनिश्चित हो'

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि केन्द्र सरकार की विशेष वित्तीय सहायता योजना से होने वाले कार्यों को तय समय-सीमा के भीतर पूर्ण किया जाए, ताकि प्रदेश में बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए इस योजना का अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके।

शर्मा बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में केन्द्र सरकार की पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि योजना के तहत प्राप्त होने वाली निधि का उपयोग 31 मार्च, 2025 तक ही किया जा सकता है। ऐसे में समय-सीमा का ध्यान रखते हुए इस राशि का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जाए।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि इस योजना के अंतर्गत पीएचडी, जल संसाधन विभाग की परियोजनाओं, पुलिस कार्मिकों के लिए आवास और यूनिटी मॉल के निर्माण के लिए पहली किस्त के रूप में प्राप्त राशि का शीघ्र उपयोग सुनिश्चित किया जाए, ताकि दूसरी किस्त जल्द से जल्द जारी हो सके। उन्होंने आइकॉनिक टूरिस्ट सेंटर के चिन्हीकरण, पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग, औद्योगिक विकास के लिए अपेक्षित नीतिगत सुधारों सहित अन्य बिंदुओं पर समीक्षा की। साथ ही, राज्य के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में भू-सुधार, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से संबंधित बिंदुओं के लिए निर्धारित माइलस्टोन की पूर्ति करते हुए रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए।

बैठक में मुख्य सचिव सुधांश पंत, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल एवं प्रमुख सचिव आलोक गुप्ता सहित विभिन्न विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

दुपहिया वाहन चुराने वाला गिरफ्तार

जयपुर। दुपहिया वाहन चुराने वाले एक शातिर वाहन चोर मोहम्मद ऐजाज निवासी जवाहर नगर जयपुर को बजाज नगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपित ने दुपहिया वाहन बुलेट चोरी कर अपने दोस्त सलमान को दे दी। जहां ट्रांसपोर्ट नगर थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के मामले में सलमान को गिरफ्तार कर उसके पास बुलेट जब्त की है।

फर्जी दस्तावेज से जेडीए पट्टा लेकर बेचने करने वाली गैंग गिरफ्तार

जयपुर। रामनगरिया थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जेडीए पट्टा प्राप्त कर भूखंड बेचने गिरोह के दो शातिर बदमाश अजय पारीक निवासी जगतपुरा जयपुर और अनूप चौधरी उर्फ गुड्डू निवासी रामनगरिया जयपुर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपित मामला दर्ज होने के बाद से ही पुलिस से बचने के लिए राजस्थान के बाहर फरारी काट रहे थे। इन लोगों के पास खर्चे के रुपये खत्म हो जाने पर अपने परिचितों से रुपये लेने के लिए जयपुर आए तो पुलिस को सुराग मिलते ही पकड़ लिया। पुलिस जानकारी में सामने आया है कि फर्जी दस्तावेज बना कर जेडीए पट्टा जारी करवाने में कई लोगों के नाम सामने आए है।

सुकन्या खाते खोलने के लिए जयपुर में विशेष अभियान

जयपुर, (का.सं.)। सुकन्या समृद्धि खाता योजना के नौ वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भारतीय डाक विभाग जयपुर नगर मण्डल की ओर से वित्तीय वर्ष 2024-25 की अवधि को "सुकन्या समृद्धि महोत्सव" वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है।

जयपुर नगर मण्डल के प्रवर अधीक्षक मोहन सिंह मीणा ने बताया कि बालिकाओं को आर्थिक संबल प्रदान करने के उद्देश्य से हमने जयपुर शहर के सभी डाकघरों में सुकन्या समृद्धि खाता खोलने का विशेष अभियान 1 सितंबर से 30 सितंबर के मध्य चला रखा है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत जयपुर शहर में अब तक 90 हजार से ज्यादा खाते हमने खोले हैं।

उन्होंने बताया कि हमने 10 वर्ष तक की प्रत्येक बालिका का सुकन्या खाता खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसमें विभागीय कर्मचारियों, पोस्टमैन साथियों द्वारा प्रत्येक घर, विद्यालयों एवं आंगनवाड़ी केंद्रों में संपर्क किया जा रहा है।

मोतीडूंगरी गणेश मंदिर में सजाई मोदकों की भव्य झांकी

मोतीडूंगरी गणेश मंदिर में मनाए जा रहे गणेश जन्मोत्सव में बुधवार को मोदकों की भव्य झांकी सजाई गई। झांकी का मुख्य आकर्षण 251-251 किलोग्राम के दो विशाल मोदक रहे।

- गणेश चतुर्थी पर मंदिर में दर्शनों के लिए बैरिकेटिंग लगाने का कार्य अंतिम चरण में

जयपुर। मोतीडूंगरी गणेश मंदिर में मनाए जा रहे गणेश जन्मोत्सव के अंतर्गत बुधवार को महंत कैलाश शर्मा के सान्निध्य में मोदकों की भव्य झांकी सजाई गई। झांकी का मुख्य आकर्षण 251-251 किलोग्राम के दो विशाल मोदक रहे। इन दोनों के अलावा 51-51 किलोग्राम के 5 मोदक, 21-21 किलोग्राम के 21 मोदक, 1.25-1.25 किलोग्राम के 1100 मोदक प्रथम पूज्य के दोनों ओर थाल में जमाकर रखे थे। हजारों की संख्या में अन्य छोटे मोदक रखे हुए थे। 2500 किलोग्राम घी, 3 हजार किलोग्राम बेसन, 9 हजार किलोग्राम शक्कर और करीब 100 किलोग्राम सूखे मेवों से तैयार मोदकों की खुशबू मंदिर के बाहर तक आ रही थी। बड़े मोदकों को विशेष पद्धित से तैयार किया गया। मोदकों की पीली आभा से मंदिर स्वर्णिम रंग से निखर उठा। मोदक झांकी के दर्शन सुबह 5 बजे से शुरू हो गए। शयन झांकी तक एक लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने विशेष झांकी के दर्शन किए। श्रद्धालुओं ने भी भक्तिभाव से मोदक का भोग लगाया। शाम को मोदक प्रसाद का निशुल्क भक्तों को वितरित किया गया। गणेशोत्सव की सुचारू दर्शन व्यवस्था के लिए बैरिकेटिंग लगाने का कार्य बुधवार को अंतिम चरण में चलता रहा। जेएलएन मार्ग से मंदिर तक बेरिकेटिंग लगाई गई है। वहीं चांदपोल गेट स्थित परकोटा गणेश मंदिर में चार दिवसीय गणेश चतुर्थी उत्सव का शुभारंभ बुधवार को गणेश जी महाराज की विशेष पूजा-अर्चना के साथ हुआ। जयकारों के साथ मंदिर शिखर पर नई ध्वजा फहराई गई। भगवान गणपति की फूल बंगला झांकी सजाकर 21000 लड्डुओं का भोग लगाया गया।

नम्बर मिलाइए
9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रम-4 स्थान जयपुर-2 जयपुर
मो.इरफानुदीन सैफी विरूद्ध मो.युसुफ खां
वाद बाबत.....
वाद सं. CS 20/24 सन्....
बनाम मो. युसुफ खां पुत्र शब्बीर खान जाति मुसलमान, आयु 45 वर्ष, निवासी-प्लाट नं. 08/18 राणा कॉलोनी नाहरी का नाका/जयपुर/848, नाहरों का नाका राणा कॉलोनी, जयपुर 1408, राणा कॉलोनी, नाहरी का नाका, जयपुर
ने आपके विरूद्ध... के लिये वाद पंजीयत किया है। आपको इस न्यायालय में तारीख 12 माह 09 सन् 2024 को दिन में 10:30 ए.एम. बजे दावे का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिये वचन दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक अनुदेश दिए गये हों और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य दाखिल करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे में या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या दाखिल सुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है। और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति में हो अपना प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते हैं तो आप ऐसी दस्तावेजों को उल्लिखित समय के बाद उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें।
आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।
यह वाद ता.31 माह 8 सन् 24 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।
वरिष्ठ रीडर
मोहर अदालत
अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश क्रम-4, जयपुर महानगर-द्वितीय जयपुर

उत्तर पश्चिम रेलवे
ई-निविदा सूचना
उप मुख्य सामग्री प्रबंधक, ऊ.प.रे., अजमेर, भारत के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी और से **ई-निविदा सं.** 42245634 **दिनांक** 03.09.24 को **जिसकी बंद होने की तारीख** 03.10.24 **को** 14.25 **बजे तक रहेगी,** आमंत्रित कर रहे हैं. निविदाकार निविदा बंद होने की तारीख एवं समय तक ही अपनी मूल/संशोधित निविदा प्रस्तुत कर पाएंगे. मैनुअल (ई-निविदा के अलावा) प्रस्ताव इस निविदा के विरुद्ध मान्य नहीं होंगे. इस तरह के मैनुअल प्रस्तावों पर ध्यान नहीं दिया जायेगा.
आपूर्ति का विवरण: Set of PU Foam as Cushion Material (For Retrofitment of Berth and Seats) as per FST Properties conforming to EN 45545 Part-2 HL-3 and conforming to RDSO Spec.No.-MMDTS-19020 Rev.-5 dt. 01-03-2023 / Silicon Foam for Seat & Berth as per RDSO Specification No. RDSO/2013/CG-13 (Rev 1) AND Fire Properties to EN 45545 Part-2 HL-3 OR Latest for LHB Second AC (LWACCW) Coaches). Description & Quantity of one set as per Attached Annexure A **मात्रा:** 77. सेट। **निविदा प्रस्तुत करने की दिनांक एवं समय:** ई निविदा को 03.10.2024 को 14.25 बजे तक प्रस्तुत किया जा सकता है. **वैबसाईट विवरण:** www.ireps.gov.in 1021-AJ/24
हमें /NWRailways NWRailways_ पर फॉलो करे

गोपीनाथ बाल भारती प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय
चीथवाड़ी, जयपुर, राजस्थान- 303805
(CSU नई दिल्ली द्वारा तात्कालिक रूप से अनुदानित)
आवश्यकता:
- **अध्यापक- संस्कृत- 02 एवं**
- **आधुनिक- 01 (गणित, अंग्रेजी)**

योग्यता- आयु- 25 वर्ष से अधिक, अनुभव- 1 वर्ष का
- **शिक्षा शास्त्री (संस्कृत विषय)** B.Sc.B.Ed. आधुनिक विषय अंग्रेजी एवं गणित
- **M.A. (आचार्य व B.Ed.)** विद्यावारिधि को प्राथमिकता दी जावेगी।

मासिक वेतन- 20,000/- प्रतिमाह।
अध्यापकों की तात्कालिक सेवाये CSU नई दिल्ली के नियमानुसार होंगी। अभ्यर्थी अपने सभी अभिलेखों एवं आधार कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति के साथ प्रार्थना- पत्र **सचिव: गोपीनाथ बाल भारती विद्यालय, चीथवाड़ी, जयपुर राजस्थान- 303805** के नाम से डाक द्वारा अथवा स्वयं उपस्थित होकर देवें। अन्तिम दिनांक 17.09.2024 तक समिति कार्यालय में जमा करें। अन्तिम तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन- पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।
सम्पर्क सूत्र- 9887519151
सचिव: गोपीनाथ बाल भारती विद्यालय समिति,चीथवाड़ी, जयपुर- 303805

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
www.jda.urban.rajasthan.gov.in
क्रमांकःजविप्रा/उपा.जोन-06/2024/डी-2017
दिनांक-3/9/24
सार्वजनिक सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री राजेश कुमार शर्मा पुत्र श्री रामअवतार शर्मा द्वारा रजि. विक्रय पत्र एवं अन्य दस्तोवज के आधार पर भैरव गृ0नि0समिति की योजना भगत वाटिका के आवासीय भूखण्ड सख्या- कुल क्षेत्रफल 68.25 व.ग. का नाम हस्तान्तरण जारी करने हेतु आवेदन किया है। उक्त भूखण्ड का लीजधारक की मृत्यु उपरान्त वारीसान द्वारा किये गये विक्रय पत्र के आधार पर विज्ञप्ति का प्रकाशन करवाया जाना है।
अत इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/ कम्पनी/ सह खातेदार व अन्य किसी को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत करे, अन्यथा भूखण्ड संख्या 8 क्षेत्रफल 68.25 व.ग. का श्री राजेश कुमार शर्मा पुत्र श्री रामअवतार शर्मा के पक्ष में जारी करने की नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। मयाद पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी।
उपायुक्त जोन-06, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

आम सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे मुवक्किल श्री कैलाश चंद यादव पुत्र श्री रूड मल यादव, निवासी वार्ड न 09, ढाणी पदमा वाली, लिसाड़िया, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर-337212 (राज.) एक अचल सम्पत्ति आवासीय प्लाट नम्बर 110, मैट्रो सिटी, ग्राम मांग्यावास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर (राज.) जिसका कुल क्षेत्रफल कार्नर की गोलाई काटकर 77.75 वर्गगज है को जो कि सर्वप्रथम उक्त प्लाट नं. 110 का पट्टा विलेख जेडीए, जयपुर द्वारा श्री मनीष चौधरी पुत्र श्री महेन्द्र शास्त्री के हित में जारी किया गया तत्पश्चात उक्त प्लाट श्री मनीष चौधरी पुत्र श्री महेन्द्र शास्त्री ने पंजीबद्ध विक्रय पत्र के माध्यम से श्री बाबु लाल पुत्र श्री ननाग राम को विक्रय कर दिया तत्पश्चात् उक्त प्लाट श्री बाबु लाल पुत्र श्री ननाग राम ने पंजीबद्ध विक्रय पत्र के माध्यम से श्री महेश कुमार सैनी पुत्र श्री तेजू राम को विक्रय कर दिया तत्पश्चात् उक्त प्लाट श्री महेश कुमार सैनी पुत्र श्री तेजू राम ने पंजीबद्ध विक्रय पत्र के माध्यम से श्री मोहन लाल यदुवंशी पुत्र श्री पतिराम एवं श्रीमती राजरानी वर्मा पत्नी श्री मोहन लाल यदुवंशी को विक्रय कर दिया उक्त विक्रय पत्र का पंजीयन कार्यालय उप पंजीयक जयपुर पंचम के यहां दिनांक 06.07.2021 को क्रम संख्या 202103019108927 पर पंजीबद्ध किया गया है तत्पश्चात् श्रीमती राजरानी वर्मा पत्नी श्री मोहन लाल यदुवंशी का स्वर्गवास दिनांक 25.06.2022 को हो गया उनके द्वारा छोडी गई उक्त निर्वसियत अचल सम्पत्ति के हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार उनके 1/2 अविभाजित हिस्से के श्री मोहन लाल यदुवंशी पुत्र श्री पतिराम, श्री शिवांग यदुवंशी पुत्र श्री मोहन लाल यदुवंशी एवं श्री देवांग यदुवंशी पुत्र श्री मोहन लाल यदुवंशी सयुक्त रूप से मालिक स्वामी एवं काबिज हुए तत्पश्चात् श्री शिवांग यदुवंशी एवं श्री देवांग यदुवंशी पुत्रान श्री मोहन लाल यदुवंशी ने उक्त अचल सम्पत्ति में अपनी माताजी श्रीमती राजरानी वर्मा के हिस्से से प्राप्त हुए स्वयं के अपने अपने अविभाजित हिस्से का हकत्याग पत्र दिनांकित 21.08.2024 निष्पादित करते हुए अपने पिताजी श्री मोहन लाल यदुवंशी पुत्र श्री पतिराम के पक्ष में हक त्याग कर दिया जोकि दिनांक 21.08.2024 को कार्यालय उप पंजीयक जयपुर सप्तम् के यहां क्रम संख्या 202403021118437 पर पंजीबद्ध किया गया है इस प्रकार श्री मोहन लाल यदुवंशी पुत्र श्री पतिराम, उक्त अचल सम्पत्ति सम्पूर्ण के एकमात्र मालिक, स्वामी एवं काबिज हुए, उक्त श्री मोहन लाल यदुवंशी पुत्र श्री पतिराम, निवासी प्लाट नं. ए-28, गगोत्री नगर, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर-302018 से मेरे मेरे मुवक्किल खरीद करना चाहते हैं। उक्त सम्पत्ति को खरीद करने हेतु मेरे मुवक्किल एच.डी.एफ.सी. बैंक लिमिटेड से ऋण प्राप्त कर उक्त सम्पत्ति को बंधक रखना चाहते हैं। इस संबंध में किसी भी व्यक्ति अथवा बैंक इत्यादि को किसी प्रकार की कोई आपत्ति या आक्षेप हो तो मय सबूत सात दिन की अवधि में अधोहस्ताक्षरकर्ता को लिखित आपत्ति प्रस्तुत करें, अवधि समाप्ति के पश्चात आपत्ति मान्य नहीं होगी तथा मेरी मुवक्किल के विरूद्ध शून्य व बेअसर मानी जावेगी।
(श्याम सुन्दर चावला) एडवोकेट, मोबाईल 9829218044

कार्यालय उप आवासन आयुक्त वृत्त-प्रथम
राजस्थान आवासन मण्डल, प्रताप नगर, जयपुर
क्रमांक:3399 जाहिर आम-सूचना दिनांक:12.08.2024
राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर योजना में आवास/ फ्लैट संख्या 101/85 (MIG-B) का आवंटन श्री अरूणाक्ष भारद्वाज श्री सुरेन्द्र कुमार को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 5526 दिनांक 30.12.2004 को जारी किया गया था। उनके पक्ष में पंजीयन पत्रों निष्पादन दिनांक 09.10.2009 को उप पंजीयक सांगानेर-प्रथम जयपुर के यहां पंजीकृत करवाया गया। श्री अरूणाक्ष भारद्वाज द्वारा उक्त आवास को श्रीमती ललिता मथारू पत्नी श्री नरेन्द्र सिंह को विक्रय कर इनके पक्ष में विक्रय पत्र दिनांक 04.12.2015 को उप पंजीयक सांगानेर द्वितीय जयपुर में पंजीकृत करवाया गया। श्रीमती ललिता मथारू द्वारा उक्त आवास को श्रीमती अंजना शर्मा पत्नी श्री सत्यनारायण शर्मा को विक्रय कर इनके पक्ष में विक्रय पत्र दिनांक 24.02.2023 को उप पंजीयक सांगानेर प्रथम जयपुर में पंजीकृत करवाया गया। क्रेता/क्रेती श्रीमती अंजना शर्मा पत्नी श्री सत्यनारायण शर्मा द्वारा आवासन मण्डल में उक्त आवास पर अपना नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कराने बाबत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया हैं। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ती हो तो अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नही हैं, श्रीमती अंजना शर्मा पत्नी श्री सत्यनारायण शर्मा का नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जावेगा। भवदीय
सम्पदा प्रबन्धक वृत्त-प्रथम, राज. आवा. मण्डल, जयपुर

खोया पाया
मेरा मकान संख्या 92/222 मानसरोवर जयपुर का मूल हस्तान्तरण आदेश पत्र क्रमांक DHC-II/2163 दिनांक 31/10/23 जो राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा जारी किया गया था कहीं खो गया है मिलने पर सूचित करें- कुनाल आसुदानी 9414845727

मेरा म.न.129, जो रामल्यावाला सीकर रोड, जयपुर डेयरी योजना में स्थित है। उक्त प्लाट का कब्जापत्र खो गया है। मिलने पर सुचित करें। संपर्क- राजेन्द्र शर्मा पुत्र श्री मोहनलाल शर्मा, B-27, जगदम्बा कालोनी नयाखेडा, जयपुर, 9829010078

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 263/2024
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि श्रीमती मोनिका भारद्वाज पत्नी श्री अशोक भारद्वाज निवासी फ्लैट नम्बर, एफ-4, प्लाट संख्या 15, सालासर रेजीडेन्सी, लक्ष्मण रेखा नियर वर्धमान होरिजन, नांगल पुलिया, निवारू रोड, झोटवाडा जयपुर ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत बडी माँ फाउण्डेशन कार्यालय पता फ्लैट नम्बर एफ-4, प्लाट संख्या 15, सालासर रेजीडेन्सी, लक्ष्मण रेखा नियर वर्धमान होरिजन, नांगल पुलिया, झोटवाडा जयपुर राजस्थान प्रन्यास के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपतियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 4.9.24 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइंदा तारीख पेशी 6.11.24
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग जयपुर

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 264/2024
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि श्री अनिल कुमार बैरवा पुत्र श्री सीताराम बैरवा निवासी रामोला भैरूजी की ढा